

कार्यालय संचालक

संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

ब्लॉक-2, तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(Telephone-0771-2511974, email-dirfood.cg@nic.in, website-www.khadya.cg.nic.in)

क्रमांक 29 / संचा.-वि.स. / 2025

नवा रायपुर, दिनांक 28 / 11 / 2025

प्रति,

1. कलेक्टर,
जिला-गरियाबंद,
छत्तीसगढ़

2. राज्य स्तरीय समन्वयक,
ऑयल उद्योग,
रायपुर, छत्तीसगढ़

विषय :- विधानसभा प्रश्न क्रमांक 320 तारांकित द्वारा श्री जनक ध्रुव, सदस्य विधानसभा की जानकारी उपलब्ध कराने बाबत।

---00---

कृपया विषयांतर्गत विभाग से प्राप्त विधानसभा प्रश्न क्रमांक 320 तारांकित की प्रति संलग्न है।

उपरोक्त विधानसभा प्रश्न का उत्तर 'यूनिफाईड फॉन्ट' में (परिशिष्टों की जानकारी भी 'यूनिफाईड फॉन्ट' में) दिनांक 03.12.2025 तक ई-मेल (dirfood.cg@nic.in) के माध्यम से हार्ड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी सहित अनिवार्य रूप से भिजवाने का कष्ट करें। विधानसभा प्रश्न विभागीय वेबसाइट से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

सहायक संचालक

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर

नवा रायपुर, दिनांक 28 / 11 / 2025

पृ.क्रमांक 30 / संचा.-वि.स. / 2025

प्रतिलिपि :-

खाद्य अधिकारी, जिला-गरियाबंद, छत्तीसगढ़। कृपया उक्त प्रश्न की जानकारी संचालनालय को निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सहायक संचालक

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : 09/12/2025

वर्ग : 2 सदन में उत्तर देने का दिनांक : 16/12/2025

विभाग का नाम : खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण

विषय : अनुसूचित जनजाति को आबंटित पेट्रोल पम्प को गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को लीज पर दिया जाना

(तारांकित प्रश्न क्रमांक : 320) श्रीजनक धुव

क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

जिला-गरियाबंद में कितने पेट्रोल पम्प अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के नाम से आबंटित हैं उनमें से कितने पेट्रोल पम्प को अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा लीज पर गैर-अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को दिया गया है? ऐसे व्यक्तियों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

Sent From : vidhan | Sent Date : 28/11/2025 10:47:43 |

Remark :

गरियाबंद
SLC